संख्या-97/2019/1952/छप्पन-2019-40/2017

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 06 नवम्बर, 2019

विषय :राजकीय हेलीकॉप्टर बेल 412 के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 20 नवम्बर, 2019 से 22 नवम्बर, 2019 तक एवं कै0 अनूप सिंह, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 13 नवम्बर, 2019 से 24 नवम्बर, 2019 में मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकाप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलुरू में सिमुलेटर पर क्रमश: क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग तथा ग्राउण्ड कोर्स व कन्वर्जन ट्रेनिंग कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 203/ना0उ0नि0/आप्स–ए0एस0/2019 दिनांक 03 अक्टूबर, 2019 तथा पत्र संख्या- 202/ना0उ0नि0/आप्स–17/2016 दिनांक 03 अक्टूबर, 2019 में किए गए प्रस्तावानुसार कै0 एस0के0 गिरि एवं कै0 अनूप सिंह, पायलट (रोटर विंग) को निम्नलिखित तालिकानुसार राजकीय हेलीकॉप्टर बेल 412 के सिमुलेटर पर मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकाप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलुरू में क्रमश: क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग तथा ग्राउण्ड कोर्स व कन्वर्जन ट्रेनिंग दी जानी है :-

क्र0 सं0	पायलट	प्रशिक्षण की अवधि तथा दिन	प्रशिक्षण की तिथि	प्रशिक्षण स्थल	प्रशिक्षण शुल्क/अन्य व्यय
1	कै0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग)	04 घण्टे (02 इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रेनिंग+02 क्रिटिकल ट्रेनिंग)	21 नवम्बर, 2019 से 22 नवम्बर, 2019	मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकाप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलुरू	5,78,781/-
2	कै0 अनूप सिंह, पायलट (रोटर विंग)	08 घण्टे की कन्वर्जन ट्रेनिंग +31 घण्टे 30 मिनट की ग्राउण्ड रिफ्रेशर ट्रेनिंग	14 नवम्बर, 2019 से 24 नवम्बर, 2019	मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकाप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलुरू	13,10,962/-
कुल योग					18,89,743/-

उक्त तालिकानुसार पायलटगण को प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकाप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलुरू में अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर प्रशिक्षण दिए जाने की प्रशासकीय स्वीकृति

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु कै0 एस0के0 गिरि एवं कै0 अनूप सिंह, पायलट (रोटर विंग) के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 18,89,743/- (रूपए अठारह लाख नवासी हजार सात सौ तैंतालीस मात्र) (कै0 एस0के0 गिरि के प्रशिक्षण के निमित्त रू0 5,78,781/- एवं कै0 अनूप सिंह के प्रशिक्षण के निमित्त रू0 13,10,962/-) तथा यात्रा व्यय (वायुयान किराया, होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 1,17,000/- (रूपए एक लाख सत्रह हजार मात्र) (कै0 एस0के0 गिरि के प्रशिक्षण के निमित्त रू0 31,000/- एवं कै0 अनूप सिंह के प्रशिक्षण के निमित्त रू0 86,000/-) अर्थात् प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त होने वाले कुल व्यय रू0 20,06,743/- (रूपए बीस लाख छः हजार सात सौ तैंतालीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति दी जानी है। अतः श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2019-20 में कै0 एस0के0 गिरि एवं कै0 अनूप सिंह, पायलट (रोटर विंग) को उपरोक्त तालिका में उल्लिखित प्रशिक्षण को मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकाप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलुरू की ट्रेनिंग फैसिलिटी में कराए जाने की स्वीकृति एवं प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 18,89,743/- (रूपए अठारह लाख नवासी हजार सात सौ तैंतालीस मात्र) तथा यात्रा व्यय (वायुयान किराया, होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 1,17,000/- (रूपए एक लाख सत्रह हजार मात्र) अर्थात् प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त होने वाले कुल व्यय रू0 20,06,743/- (रूपए बीस लाख छः हजार सात सौ तैंतालीस मात्र) के व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत प्रशिक्षण के सन्दर्भ में मेसर्स हैट्स ऑफ हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलुरू द्वारा पायलटगण के प्रशिक्षण की आवंटित तिथियों में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन किया जाता है तो ऐसी दशा में श्री राज्यपाल द्वारा मात्र प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु निदेशक, नागरिक उड्डयन को अधिकृत किया जाता है कि मेसर्स हैट्स ऑफ हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलुरू से प्रशिक्षण की वास्तविक/संशोधित तिथियां प्राप्त होने के बाद वे सम्बन्धित पायलट को ट्रेनिंग पर प्रस्थान करने हेतु अनुमति प्रदान करें। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रशिक्षण की वास्तविक अवधि तथा प्रशिक्षण शुल्क (कुल रू0 18,89,743/-) में किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि प्रशिक्षण की प्रस्तावित अवधि तथा प्रशिक्षण शुल्क में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उस अवस्था में यथा समय शासन की अनुमति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

3- राज्यपाल महोदय उक्त धनराशि को प्रशिक्षण प्राप्त करने के पूर्व मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकाप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलुरू को वायर ट्रांसफर के द्वारा अग्रिम भुगतान करने की अनुमति भी प्रदान करते हैं।

4- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या ए-1-2774/ दस-15(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10.6.2011 तथा शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1) दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

5- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार स्वीकृत धनराशि के आहरण, भुगतान एवं समायोजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

6- पायलटों को वायुयान का किराया एवं अन्य सुविधाएं अनुमन्य श्रेणी की ही स्वीकृत की जाएगी।

7- उक्त स्वीकृत धनराशि में से नियमानुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि के भुगतान के पश्चात यदि धनराशि अवशेष बच जाती है तो उसे तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

8- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाए तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आँकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

9- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत राजस्व लेखा शीर्षक ''2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : ई-7- 798/दस-2019 दिनांक 06 नवम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

11- उक्त प्रशिक्षण का परिणाम/प्रशिक्षण के उपरान्त लाइसेन्स पर पृष्ठांकनोपरान्त लाइसेन्स की प्रति और अन्य सम्बन्धित अभिलेख पायलट की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित करने/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा आयोजित प्रशिक्षण, सेमिनार, विचार गोष्ठी इत्यादि में प्रतिभाग करने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं शर्तों एवं प्रतिबन्धों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

संख्या- 97/2019/1952(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य), अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित पायलटगण।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in